

**Unstarred Assembly Question No. 6**  
**Age limit of Depot Holder**

**6. Sh. Bishan Lal Saini (Radaur) :**

**Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-**

- a) whether the age limit upto 60 years has been fixed for working as Depot holder by the Government; if so, the advantages likely to be achieved by the said regulation?

**Answer: - Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana**

- a) Yes Sir, the age limit upto 60 years has been fixed for working as Depot holder by the Government in the new Haryana Targeted Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022.

Considering the sentiments of youth and in order to provide a livelihood opportunity to the youth, State Government has made this regulation so that they can have a mode of their livelihood and up bring their family. It is an effort to provide a source of employment to the youth of the State.

-----

अतारांकित प्रश्न संख्या 6

डिपो होल्डर की आयु सीमा

6. श्री बिशन लाल सैनी (रादौर): क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) क्या सरकार द्वारा डिपोधारक के रूप में कार्य करने के लिए आयु सीमा 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है; यदि हां, तो उक्त नियम द्वारा लाभ कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

उत्तर:- दुष्यन्त चौटाला, उप मुख्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

(क) जी हां, सरकार द्वारा नये हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति एवं नियंत्रण) आदेश, 2022 में डिपोधारक के रूप में कार्य करने के लिए 60 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है।

युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और युवाओं को आजीविका का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने यह नियम बनाया है ताकि वह अपनी आजीविका का साधन बना सकें और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। यह युवाओं को रोजगार का एक अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।

-----